

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किए जाएंगे व कि किसी अन्य पदाधिकारी से नहीं। सम्बन्धित विवरण पर डॉ. पूर्ण में पर उपरोक्त नाम से ही एक सम्बन्ध (एन वि.सं.सं.) जारी किया जावे किस्त से करिये।



द्वारा : कुलसचिव
दूरभाष : (0751) 2441896
(0751) 2442029
फैक्स : (0751) 2441768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर
क्रमांक:एफ.सम्बन्धता/2012/5855

दिनांक: 22/12/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्धित विद्यार्थी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ग्वालियर (0751-4040810) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संवाचित कीर्तन, तृतीय वर्ष, (फ्लैब/कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति. वि.), बी.बी.ए. तृतीय वर्ष एवं बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिपति, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) डॉ. के.एस. ठाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) प्रो. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर चुकें, यद्यपि उचित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संख्या से प्राप्त अनुमति/अज्ञातित प्रमाण-पत्र, भवन, शौचालय परिशर एवं पाठ्यक्रम/अडिनिस्ट तथा निम्नलिखित सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति गद्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जावे वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्बण्ड जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रबंधनी लेवल जायेंगे तथा महाविद्यालय की उपस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगा। जिसे पर समिति के सदस्यों को पी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देना होगा।


कुलसचिव

प्रतिक्रिया :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/उपपदा, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संगर्भ स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)